न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 59/2019 निर्णय दिनांक 16.10.2019

राधेश्याम पुत्र मोहनराम ब्राहम्ण निवासी हेमासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

प्रतिवादी

उपस्थित–

1 श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।

2. पैरोकार राज अप्रार्थी की तरफ से ।

यह वाद राधेश्याम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि है कि वादी ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का मूल निवासी है | वादी अपने काम धंधे के लिए पिछले लम्बे समय से अपने गाँव से बाहर रहता है | वादी के 1/9 हिस्से के संयुक्त खातेदारी उक्त खेत खसरान वाके रोही हेमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ में स्थित है | वादी के संयुक्त खातेदारी के वादगत खेत खसरा न. नया 121 जिसके पुराना खसरा न. 113, खसरा न. नया 28 जिसके पुराना खसरा न.25, खसरा न. नया 47 जिसके पुराना खसरा न. 43, खसरा न. नया 48 जिसके पुराना खसरा न. 44, खसरा न. नया 51 जिसके पुराना खसरा न. 47 है | वादगत उक्त समस्त खेत खसरान की खातेदारी सम्मत 2054 से 2057 तक वादी के पिता सोहनलाल पुत्र शेराराम कोम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के नाम चली आ रही थी | वादी के पिता का दिनांक 05.12.2000 को स्वर्गवास हो गया | वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाते समय वादी के बड़े भाइयों द्वारा वादी का नाम लिपिकीय त्रुटी (pen slip) से राधेश्याम की बजाय राधाकिशन दर्ज हो गया | वादी के भाई उस समय अपने काम की व्यस्तता के कारण स्वहन से हुई उक्त भूल पर ध्यान नही दे पाये | उक्त वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इंतकाल न. 128 ग्राम हेमासर पटवार हल्का पुन्दलसर द्वारा वादगत समस्त खेत खसरान पुराना नम्बर में विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया | वादी का शुद्ध नाम राधेश्याम पुत्र सोहनराम जाति ब्राह्मण निवासी हेमासर है जो वादी के मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में शुरू से दर्ज चला आ रहा है | विरासतन इंतकाल दर्ज होने के पश्चात वादी अपने 1/9 हिस्से तक उक्त समस्त खेत खसरान का उपयोग उपभोग करता रहा | वादी को उक्त खसरान के राजस्व रिकोर्ड दस्तावेज को निकलवाने की कभी आवश्यकता नही पड़ी | माह जून 2019 में वादी ने अपने उक्त खसरा न. 121 तदादी 7.6100 हेक्टेयर, खसरा न. 28 तादादी 6.63 हेक्टेयर, खसरा न.47 तादादी 10.61 हेक्टेयर, खसरा न. 48 तादादी 4.22 हेक्टेयर, खसरा न. 51 तादादी 6.75 हेक्टेयर कुल खसरा 5 कुल तादादी 35.8200

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

हेक्टेयर वाके रोही हेमासर की जमाबंदी पटवारी हल्का से निकलवाई तो वादी को सर्वप्रथम बार ज्ञात हुआ की उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध रूप से राधाकिशन दर्ज हो रखा है | वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध करवाने व अपने शुद्ध नाम की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार रखता है | वादी ने अपने अशुद्ध नाम को राजस्व रिकार्ड में शुद्ध करवाने का हल्का पटवारी व तहसीलदार से निवेदन किया तो उन्होंने दिनांक 10.07.2019 को स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए सक्षम राजस्व न्यायालय से वादी के नाम की रिकोर्ड दुरुस्ती व घोषणा करवाने का कहा | यही वादी का वाद लाने का वाद हेतु है | वादी को अपने वादगत खेत खसरान में शीघ्र ऋण लेने की सदभावी आवश्यकता है | भूमिधारी स्टेट के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80(1) सी.पी.सी. का दो माह पूर्व का नोटीस देने का कानूनी प्रावधान है | दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस देने की पालना करने पर अत्यधिक विलम्ब हो जाने से दावा दायरी का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा | इसलिए धारा 80(2) सी.पी.सी. में छुट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है |

अत: वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि की वादी का दावा निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमावे:-

कि खेत खसरा न. 121 तादादी 7.6100 हेक्टेयर, खसरा न. 28 तादादी 6.63 हेक्टेयर, खसरा न.47 तादादी 10.61 हेक्टेयर, खसरा न. 48 तादादी 4.22 हेक्टेयर, खसरा न. 51 तादादी 6.75 हेक्टेयर कुल खसरा 5 कुल तादादी 35.8200 हेक्टेयर वाके रोही हेमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र सोहनराम जाति ब्राह्मण निवासी हेमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ की घोषणा की जावे |

यह है की प्रतिवादी को आदेशित किया जावे की वह खेत खसरा न. 121 तादादी 7.6100 हेक्टेयर, खसरा न. 28 तादादी 6.63 हेक्टेयर, खसरा न.47 तादादी 10.61 हेक्टेयर, खसरा न. 48 तादादी 4.22 हेक्टेयर, खसरा न. 51 तादादी 6.75 हेक्टेयर कुल खसरा 5 कुल तादादी 35.8200 हेक्टेयर वाके रोही हेमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम राधाकिशन पुत्र सोहनलाल जाती ब्राह्मण निवासी हेमासर की जगह राधेश्याम पुत्र सोहनराम जाति ब्राह्मण निवासी हेमासर तहसील श्री डूंगरगढ़ अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें |

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी स्टेट ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 121 तादादी 7.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 28 तादादी 6.63 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 तादादी 10.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 4.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 तादादी 6.75 हैक्टयर वाके रोही हेमासर तहसील श्री डूॅगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र सोहनराम जाति ब्राहम्ण निवासी हेमासर तहसील श्री डूॅगरगढ की घोषणा करना व इसी अनुसार उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करना न्यायोचित्त है ।

अधिकारी

Scanned by CamScanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । स्टेट को वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 121 तादादी 7.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 28 तादादी 6.63 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 तादादी 10.61 हैक्टय खसरा नम्बर 48 तादादी 4.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 तादादी 6.75 हक्टयर कुल खसरा 5 कुल तादादी 35.8200 हैक्टयर वाके रोही हेमासर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधाकिशन पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हेमासर की जगह राधेश्याम पुत्र मोहनराम जाति ब्राहम्ण निवासी हेमासर करने की घोषणा की जाती है । तहसीलदार श्री डूँगरगढ राजस्व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.15 12:53:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: